माननीय डॉ. सरोजनी सक्सेना के सामने

शौकत एल, आई,-अपीलार्थी

बनाम

हरियाणा राज्य,-उत्तरदाता,

सी आर एल। 1987 का ए. *सं. 100/एस.* बी.

18 जनवरी, 1996

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-धारा 297-उच्च न्यायालय *के नियम और आदेश, Vol.-IV-अध्याय 12-बी-शपथ* पत्र-सत्यापन *या तो ज्ञान या जानकारी पर होना आवश्यक है-यह विशेष रूप से दिखाना चाहिए कि शपथ पत्र का कौन सा हिस्सा प्रतिनिधि की जानकारी पर सत्यापित किया गया है और जो प्रतिनिधि की जानकारी पर सत्यापित किया गया है-यदि पूरा शपथ पत्र ज्ञान और जानकारी पर सत्यापित किया गया है तो ऐसा शपथ पत्र उचित नहीं है-साक्ष्य में दिया गया शपथ पत्र उचित नहीं है।*

यह अभिनिर्धारित किया गया कि उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों के खंड IV, के अध्याय 12-बी के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 297 के तहत, एक शपथ पत्र का सत्यापन या तो जानकारी पर या जानकारी पर होना आवश्यक है और यह विशेष रूप से दिखाना चाहिए कि शपथ पत्र का कौन सा हिस्सा प्रतिनिधि की जानकारी पर सत्यापित है और कौन सा हिस्सा प्रतिनिधि की जानकारी पर सत्यापित है।यदि पूरे हलफनामे को ज्ञान और जानकारी के आधार पर सत्यापित किया जाता है, तो ऐसा हलफनामा उचित नहीं है और इस पर विचार नहीं किया जा सकता है।

(पैरा 7)

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-धारा 313-अभियुक्त की *जाँच करने की शक्ति-निम्न न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रश्न जिनकी संख्या नहीं है-धारा* 313 *का उद्देश्य अभियुक्त को समझाने का अवसर देना है-सरल भाषा में पूछे जाने वाले प्रश्न-धारा* 313 *का उल्लंघन न्याय से इनकार करने के बराबर है।*

माना जाता है कि संहिता की धारा 313 के तहत अभियुक्त का बयान दर्ज करने का उद्देश्य उसे उन परिस्थितियों को समझाने का अवसर देना है जो अभियोजन पक्ष द्वारा उसके खिलाफ अपने साक्ष्य में साबित की गई हैं।

(पैरा 8)

आगे कहा गया कि चौथे प्रश्न में कई तथ्यों को जोड़ा गया है एक प्रश्न में एक साथ और उन्हें आरोपी के सामने रखा जाता है। यह प्रश्न इसलिए भी दोषपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक प्रश्न डाला जाना चाहिए किसी एक परिस्थिति के बारे में सरल भाषा में जो अभियुक्त के विरुद्ध सिद्ध हो ताकि वह प्रश्न को ठीक से समझ सके और अपनी बुद्धि के अनुसार उसका उत्तर दे सके। एक प्रश्न में कई तथ्यों को रखना संहिता की धारा 313 के तहत आरोपी से पूछताछ करने का एक बहुत ही दोषपूर्ण और निंदनीय तरीका है।

(पैरा 8)

आर. एस. चीमा, वरिष्ठ अधिवक्ता, देविंदर पाल सिंह, अधिवक्ता, *अपीलार्थी की ओर से।*

विजय पाल सिंह, ए. ए. *जी., हरियाणा, प्रत्यर्थी के लिए।*

न्यायमूर्ति डॉ. (श्रीमती) सरोजनी सक्सेना,

1. अपीलार्थी-अभियुक्त ने श्री के. सी. डांग, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कमल द्वारा उसे नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (संक्षेप में 'एक्ट') की धारा 18 के तहत दी गई अपनी 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये और अगर वह जुर्माने का भुगतान नहीं करपाटा है तो पांच साल के लिए कठोर कारावास की सजा के विरुद्ध अपील दायर की है।

2. तथ्यों का संक्षिप्त विवरण यह है कि 1/2 फरवरी, 1986 की दरम्यानी रात को पुलिस स्टेशन सिटी पानीपत के सहायक उप निरीक्षक बचन सिंह सहायक उप निरीक्षक सतबीर सिंह, हेड कांस्टेबल मनोहर लाल, विरसा सिंह और गुलाब सिंह और कांस्टेबल शिव कुमार के साथ गश्त के लिए पुलिस स्टेशन से निकले।वे पानीपत के सनोली रोड पर गंडा नाला पुल पहुंचे।लगभग 4 बजे, उन्होंने अपीलार्थी-अभियुक्त को सनोली गाँव से कंबल में लिपटे पैदल आते देखा।मौके पर मौजूद पुलिस दल को देखकर उसने भागने की कोशिश की, जिससे संदेह पैदा हो गया।सहायक उप निरीक्षक बचन सिंह ने उसे पकड़ लिया, व्यक्तिगत खोज के लिए खुद को प्रस्तुत किया और तुरंत आरोपी अपीलार्थी की व्यक्तिगत खोज की।सहायक उप निरीक्षक बचन सिंह को आरोपी के

दाहिने हाथ के गड्ढे के नीचे मोम के कागज में लिपटे एक किलो अफीम मिली।30 ग्राम अफीम को नमूने के रूप में अलग किया गया, जब्त अफीम का वजन किया गया और कानून के अनुसार दो पार्सल तैयार किए गए।उन्हें 'बीएस' के शिलालेख वाली मुहर से सील कर दिया गया था।रुका प्रदर्शनी पी. बी. को संबंधित पुलिस थाने में भेजा गया।सहायक उप निरीक्षक बचन सिंह ने प्रतिबंधित पदार्थ को जब्त *कर* लिया-जब्ती ज्ञापन प्रदर्शनी पी. ए. के माध्यम से। उन्होंने प्रदर्शनी पीसी का स्थल मानचित्र तैयार किया। एफ. आई. आर. प्रदर्शनी पी. डी. को रुका प्रदर्शनी पी. बी. के आधार पर दर्ज किया गया था। उसी दिन गिरफ्तारी ज्ञापन तैयार करने के समय जब आरोपी के व्यक्ति की फिर से तलाशी ली गई तो सहायक उप निरीक्षक बचन सिंह ने पाया कि वह भी अपने साथ ले जा रहा था।12 उसके पायजामे के दाहिने हिस्से में देसी पिस्तौल थी, जिसे भी जब्त कर लिया गया था और अपीलार्थी के खिलाफ शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत एक अलग आरोप पत्र दायर किया गया था। केस प्रॉपर्टी उसी दिन थाने के हेड कांस्टेबल मोहर्रिर के पास जमा करा दी गई। मुकदमे के दौरान, भाल्ले राम, अनुलग्नक पी. ई. और सुंदर लाई, अनुलग्नक पी. एफ. के शपथ पत्र भी लिंक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए गए थे।अभियोजन पक्ष ने सहायक उप निरीक्षक सतबीर सिंह से पीडब्लू-1 और सहायक उप निरीक्षक बचन सिंह से पीडब्लू-2 के रूप में पूछताछ की।अभियोजन पक्ष द्वारा कोई अन्य सबूत पेश नहीं किया गया था।

3. आरोपी से आईपीसी की धारा 313 के तहत पूछताछ की गई आपराधिक प्रक्रिया। उनकी बचाव याचिका गलत निहितार्थ वाली थी और उन्होंने बचाव में किसी भी सबूत को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अभियोजन साक्ष्य पर भरोसा करते हुए, विद्वान निचली अदालत ने आरोपी अपीलकर्ता को आत्मघाती अपराध के लिए दोषी ठहराया, दोषी ठहराया और सजा सुनाई, जैसा कि ऊपर बताया गया है।

4. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि इस मामले में जैसे ही संदेह के आधार पर, अपीलकर्ता-अभियुक्त को सहायक उप निरीक्षक बचन सिंह द्वारा गिरफ्तार किया गया था, उस समय, वह अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों को लागू करने के लिए बाध्य था। उन्होंने आगे मेरा ध्यान सहायक उप निरीक्षक सतबीर सिंह और सहायक उप निरीक्षक बचन सिंह की जिरह की ओर आकर्षित किया, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि तलाशी और जब्ती के समय आरोपी को ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया था। प्रतिवादी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि चूंकि यह आकस्मिक वसूली का मामला था, सहायक उप निरीक्षक बचन सिंह के लिए अधिनियम की धारा 50 में निर्धारित प्रक्रिया को अपनाना आवश्यक नहीं था।

5. पंजाब राज्य बनाम बलबीर सिंह[1] में, उच्चतम न्यायालय ने माना है कि धारा 50 के प्रावधान अनिवार्य हैं, लेकिन नशीली दवाओं की आकस्मिक बरामदगी के मामले में धारा 50 लागू नहीं होती है। मोहिंदर कुमार बनाम पणजी राज्य[2] में इस दृष्टिकोण की पुनः पुष्टि की गई है। मोहिंदर कुमार के फैसले में शीर्ष अदालत ने आगे स्पष्ट किया है कि जैसे ही पुलिस अधिकारियों को संदेह होता है कि आरोपी पी.पी. ले जा रहा है। उस समय से अधिनियम के तहत प्रतिबंधित सामग्री, जब आरोपी की व्यक्तिगत तलाशी ली जाती है, तो उसे अधिनियम की धारा 50 के अनिवार्य प्रावधानों का पालन करना आवश्यक होता है। इस मामले में, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि सहायक उप निरीक्षक बचन सिंह को तलाशी लेने से पहले संदेह हुआ था कि आरोपी अधिनियम के तहत प्रतिबंधित पदार्थ ले जा रहा है। बचन सिंह पीडब्लू 2 ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पुलिस को मौके पर खड़ा देखकर जब आरोपी ने उसके कदमों का पता लगाया, तो उसे संदेह हुआ और तुरंत, उसने खुद को निजी तलाशी के लिए पेश करते हुए

[1] 1994 (1) R.C.R. 733.
[2] A.I.R. 1995 S.C. 1157.

अपनी निजी तलाशी ली। उसे 1 किलो मिला। आरोपी की बांह के नीचे अफीम का ढेर। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि यह आकस्मिक पुनर्प्राप्ति का मामला है। जिस दिन बचन सिंह ने गिरफ़्तारी ज्ञापन तैयार किया उसी दिन अभियुक्त की पूरी व्यक्तिगत तलाशी ली गई और उसके पायजामे के दाहिने नाब में 12 बोर का देशी पिस्तौल भी मिला जिसे भी ज़ब्त कर लिया गया और उस आधार पर धारा के तहत अभियोग दर्ज किया गया के विरूद्ध 25 आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया। अभियुक्त-अपीलार्थी. सहायक उप निरीक्षक बचन सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि उस मामले में आरोपी को दोषी ठहराया गया था। अपीलकर्ता के विद्वान वकील इस तथ्य कथन का खंडन नहीं कर सके। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि यह शुद्ध और सरल मौका वसूली का मामला था और शीर्ष अदालत के उपरोक्त निर्णय के मद्देनजर, सहायक उप निरीक्षक बचन सिंह के लिए अधिनियम की धारा 50 में निर्धारित प्रक्रिया का सहारा लेना आवश्यक नहीं था।

6. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि अपीलार्थी की तलाशी लेते समय, कोई स्वतंत्र गवाह शामिल नहीं किया गया था और इस प्रकार, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 100 उपखंड (4) के अनिवार्य प्रावधान का उल्लंघन किया गया।संहिता की धारा 100 उपखंड (4) के प्रावधान अनिवार्य नहीं हैं क्योंकि केवल निर्देशिका होती है और पुलिस अधिकारियों की गवाही को समर्थन देने के लिए किसी भी प्रतिबंधित पदार्थ की तलाशी और जब्ती करते समय पुलिस पक्ष द्वारा स्वतंत्र गवाह को शामिल करने की आवश्यकता होती है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह साक्ष्य की सराहना का भी तय सिद्धांत है कि एक पुलिस अधिकारी के बयान को केवल उसके आधिकारिक आवरण के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है, अगर अन्यथा उसका बयान विश्वसनीय है। इस मामले में अभियोजन पक्ष के दोनों गवाहों ने गवाही दी है कि आरोपी की व्यक्तिगत तलाशी 2 फरवरी, 1986 को सुबह 4 बजे ली गई थी।जाहिर है, यह सर्दियों

की रात थी और इन दोनों गवाहों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उस समय सड़क पर कोई व्यक्ति नहीं था, जो इस खोज के समय जुड़ा हो सकता था।यह एक प्रशंसनीय और विश्वसनीय व्याख्या है।इन गवाहों के बयान की सच्चाई पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है।इन गवाहों को यह भी नहीं बताया गया है कि उस समय कोई स्वतंत्र गवाह मौके पर मौजूद था।अतः इस तर्क में कोई सार नहीं है। अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा यह भी तर्क दिया जाता है कि भाले राम के हलफनामे पी. ई. और सुंदर लाई के हलफनामे, पी. एफ., दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 297 के प्रावधानों के अनुसार नहीं हैं।उन्होंने आगे बताया कि ये हलफनामे अभियुक्त-अपीलार्थी की उपस्थिति में दायर नहीं किए गए थे।अभियुक्तों को इन गवाहों से जिरह करने का कोई मौका नहीं दिया गया।निचली अदालत के रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि ये हलफनामे 29 अक्टूबर, 1986 को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे।उस तारीख को हेड कांस्टेबल भल्ले राम और सुंदर लाई को मौजूद नहीं रखा गया था।वह आगे प्रस्तुत करता है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए उसके बयान में आरोपी के सामने कथित लिंक साक्ष्य भी नहीं रखा गया था।इस प्रकार, उनके अनुसार चूंकि यह लिंक साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है, इसलिए रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट, पीडी प्रदर्शित करें, पर अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थी को दोषी ठहराने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है।

7. ये प्रतिबंध निराधार हैं, उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों के अध्याय 12-बी, खंड IV के साथ पढ़ी जाने वाली आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 297 के तहत, एक हलफनामे का सत्यापन या तो ज्ञान पर या सूचना पर होना आवश्यक है और इसे विशेष रूप से दिखाना चाहिए शपथ पत्र का कौन सा भाग अभिसाक्षी की जानकारी पर सत्यापित है और कौन सा भाग अभिसाक्षी की जानकारी पर सत्यापित है। यदि संपूर्ण शपथ पत्र ज्ञान और जानकारी के आधार पर सत्यापित किया गया है, तो ऐसा शपथ

पत्र उचित नहीं है और उस पर विचार नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त उल्लिखित हलफनामे प्रदर्श पीई और पीएफ को देखने से पता चलता है कि इन दोनों गवाहों ने सत्यापित किया है कि हलफनामों की सामग्री उनके ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है। अत: ये दोनों शपथ पत्र कानून के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं। और इस प्रकार, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके अलावा 29 अक्टूबर, 1986 को लोक अभियोजक एस. यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि अभिसाक्षी उपस्थित नहीं हैं। उसी दिन ट्रायल जज द्वारा दो आदेश लिखे गये। प्रथम आदेश में केवल इतना ही उल्लेख है कि "दो पीडब्लू रिकार्ड किये गये। अभियोजन पक्ष के सबूत ख़त्म. आरोपी के बयान के लिए मामला स्थगित कर दिया गया है।" उसके नीचे उसी तारीख का एक और ज़िमनी आदेश दर्ज किया गया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि "आरोपी का बयान दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 दर्ज की गई है। वह बचाव साक्ष्य पेश करने के लिए समय चाहते हैं।" मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि ये दोनों जिम्नी ऑर्डर एक ही तारीख में कैसे दर्ज हो गए। ऑर्डर-शीट किसी विशेष दिन में किसी विशेष मामले में की गई कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण है। यदि किसी विशेष दिन अभियोजन पक्ष के गवाहों की जांच की जाती है और उसके बाद संहिता की धारा 313 के तहत आरोपी की भी जांच की जाती है, तो केवल एक आदेश लिखने की आवश्यकता होती है। निचली अदालत को उस समय की अवधि का उल्लेख करना चाहिए था जब अभियोजन के साक्ष्य दर्ज किए गए थे और जब संहिता के तहत आरोपी से पूछताछ की गई थी। एक ही दिन में दो आदेश लिखना वांछनीय नहीं है और कानून के तहत इसकी आवश्यकता नहीं है। इन आदेशों में उन्होंने यह उल्लेख नहीं किया है कि ये दोनों शपथ पत्र भी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किये गये हैं। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त को पता था कि इस तिथि पर ये दो शपथ पत्र भी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए गए थे। इसलिए, इन गवाहों से जिरह के लिए निचली अदालत

के समक्ष आवेदन दायर करने का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए इस आधार पर भी इन दोनों हलफनामों पर विचार नहीं किया जा सकता। अंत में, आश्चर्यजनक रूप से, यह लिंक साक्ष्य आरोपी-अपीलकर्ता के सामने नहीं रखा गया जब उससे संहिता की धारा 313 के तहत पूछताछ की गई। निचली अदालत द्वारा प्रश्नों को क्रमांकित नहीं किया जाता है ताकि उन्हें अपीलीय निर्णय में आसानी से संदर्भित किया जा सके। छठा प्रश्न निम्नानुसार चलता है

> "यह आपके खिलाफ सबूत में है कि एक आरोप के तहत स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों की धारा 18 अधिनियम, 1985 के तहत आपने स्वयं को दोषी नहीं माना और दावा किया जिस मुक़दमे की सारी गवाही आप में दर्ज की गई थी उपस्थिति और आपकी सुनवाई के भीतर। तुम्हें क्या कहना है इसके बारे में ?"

8. संहिता की धारा 313 के तहत अभियुक्त का बयान दर्ज करने का उद्देश्य उसे उन परिस्थितियों को समझाने का अवसर देना है जो अभियोजन पक्ष ने अपने साक्ष्य में उसके खिलाफ साबित की हैं। उपरोक्त प्रश्न में अभियुक्त पर ऐसी कोई परिस्थिति नहीं डाली गई है। अभियुक्त को उसके खिलाफ अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए पूरे सबूत याद नहीं रखने चाहिए। इस प्रकार, मेरी सुविचारित दृष्टि से यह प्रश्न बेमानी था। आगे चौथे सवाल में कई तथ्यों को एक साथ जोड़कर एक सवाल में आरोपी के सामने रखा जाता है। यह प्रश्न इसलिए भी दोषपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक प्रश्न को सरल भाषा में किसी एक परिस्थिति के बारे में रखा जाना चाहिए जो अभियुक्त के विरुद्ध सिद्ध हो ताकि वह प्रश्न को ठीक से समझ सके और अपनी बुद्धि के अनुसार उसका उत्तर दे सके। एक प्रश्न में कई तथ्यों को रखना संहिता की धारा 313 के तहत आरोपी से पूछताछ करने का एक बहुत ही दोषपूर्ण और निंदनीय तरीका है। इन प्रस्तुतियों का समर्थन करने के लिए, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने दर्शन सिंह बनाम पंजाब राज्य

(3), पंजाब राज्य बनाम पर भरोसा किया है। नछत्रो, (4), हरजीत सिंह बनाम। हरियाणा राज्य (5), और गुमम सिंह बनाम। पंजाब राज्य (6). इस प्रकार जब यह लिंक साक्ष्य कानून के अनुसार नहीं है और इसके अलावा इसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अभियुक्त के सामने नहीं रखा गया है, तो इस साक्ष्य को अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता है। हालाँकि इसे लिंक साक्ष्य कहा जाता है, लेकिन यह इस तथ्य को साबित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य है कि नमूने के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी, जब्ती के बाद इसे विधिवत सील कर दिया गया था, इसे पुलिस मालखाने में बरकरार रखा गया था और उसी स्थिति में रखा गया था। विश्लेषण के लिए रासायनिक परीक्षक के पास भेजा गया। चूँकि इस लिंक साक्ष्य पर विचार नहीं किया जा सकता है, रासायनिक परीक्षक, एक्ज़िबिट पीडी की रिपोर्ट को भी अभियुक्तों के विरुद्ध साक्ष्य में नहीं पढ़ा जा सकता है। इससे पूरे अभियोजन पक्ष को नुकसान हुआ है और आरोपी इस मामले में संदेह का लाभ पाने का हकदार है। सबूत का भार हमेशा अभियोजन पक्ष पर होता है और उसे किसी भी संदेह से परे अपना मामला साबित करना होता है।

9. तदनुसार, यह अपील स्वीकार की जाती है। आरोपी को संदेह का लाभ मिलने के कारण बरी कर दिया गया है। यदि वह जेल में है और किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता नहीं है, तो उसे तुरंत रिहा कर दिया जाए। जुर्माना, यदि जमा किया गया है तो उसे वापस कर दिया जाए।

अस्वीकरण :

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अभिनव गर्ग

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

फ़रीदाबाद, हरियाणा